



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्कबोर्ड
Government of India
Ministry of Finance, Department of
Revenue
Central Board of Indirect Taxes and
Customs



सत्यमेव जयते

commr-cexdaman@nic.in

Ph: 0260-2460305

आयुक्तकाकार्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, दमण आयुक्तालय
Office of the Commissioner
Central G.S.T., Daman
Commissionerate
वस्तु एवं सेवाकर भवन, आर. सी. पी. कम्पाउंड, वापी-
३९६१९१
G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-
396191

Fax: 0260-2460484

स्थापना आदेश संख्या: 02/2022

वापी, दिनांक: 03.01.2022

विषय: वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय के आशुलिपिक ग्रेड-I एवं ग्रेड-II में ट्रांसफर और पोस्टिंग हेतु।

स्थापना आदेश सं. 111/2021 दिनांक 14.12.2021 जो संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वड़ोदरा ज़ोन, वड़ोदरा द्वारा जारी किया गया है, के अनुसरण में वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय में आशुलिपिक ग्रेड-I एवं ग्रेड-II में निम्नलिखित स्थानांतरण / पोस्टिंग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए आदेश दिया गया है जोकि निम्नलिखित है:-

| Sr. No. | अधिकारी का नाम (सर्व / श्री) Name of the officer (S/Shri) | ग्रेड Grade | पोस्टिंग की वर्तमान जगह Present place of Posting | पोस्टिंग की नई जगह New place of posting |
|---------|---|----------------|--|---|
| 1 | अभिषेक | ग्रेड-I | नई नियुक्ति | आयुक्त के निजी सहायक |
| 2 | सुमित कुमार | ग्रेड- II | नई नियुक्ति | अपर आयुक्त (का.व स.) के निजी सहायक |

3. अपने नए स्थान पर अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने से पहले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 03.01.2022 (अपराहन) में कार्यमुक्त किया जाता है और पदभार ग्रहण की तारीख तुरंत इस कार्यालय को सूचित की जाए।

5. यह आदेश आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित 3/1/22

(अमित कुमार)

अपर आयुक्त (का. व स.)

वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.

फा. स. II/03-02/2019-स्था.

वापी, दिनांक : 03.01.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीसीओ, वड़ोदरा ज़ोन, वड़ोदरा.
2. आयुक्त के निजी सहायक, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
3. अपर / संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.

4. सभी उप/सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी / मुख्य लेखा अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
6. सभी अनुभाग अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
7. सम्बन्धित व्यक्ति/ गार्ड फाईल.